न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– श्री पर्वत सिह चुण्डावत आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 07 / 2022

तारीख दायर–17.06.2022
तारीख निर्णय–06.12.2024

1. श्री लालीया उर्फ लालु मीणा पिता उदा उर्फ उदीया मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

.....वादीगण

बनाम

2. श्री कालु पिता अमरा मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री शंकर पिता अमरा मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्री हुडा पिता अमरा मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्री शान्तिलाल पिता भगा मीणा अमरा मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री मुकेश कुमार चोबिसा
प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि–मौजा बेडासोटा पटवार हल्का कूण भू.अ.निरीक्षक कूण की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 जमाबन्दी 2075 में वर्णीत आराजी 9 / 1 रकबा 0.2268 हैक्टेयर की भूमि स्थित है। वर्णीत आराजी भूमि वादी के दादा जी के समय से करीबन 60–70 वर्षो से भी अधिक समय से वादी व उसके पूर्वधिकारीयों के कब्जे काश्त स्वामीत्व व आधिपत्य में है उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा जगा जी ने वादी के दादा खाना जी को मौखिक समझौते में दी। उस समय दोनों ही के द्वारा आपसी समझ होने से इस बावत् कोई लिखा पढी नही की गई और ना ही उक्त भूमि वादी के दादा के नाम पर करवाने की कार्यवाही की गई इसलिये उक्त भमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा श्री जगा जी के नाम पर ही रही और तत्पश्चात् जगाजी के पुत्र अमराजी के नाम पर आई और उनके पश्चात् प्रतिवादीगण के नाम पर आई है। इस चरण में अंकित उक्त आराजी कभी भी प्रतिवादीगण व उनके पूर्वाधिकारियें के कब्जेकाश्त व आधिपत्य में नही रही और ना ही वर्तमान में प्रतिवादीगण का ही आधिपत्य है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णीत आराजी में वादी के नाम की घोषणा का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। उक्त प्रकरण में तहसीलदार लसाडिया का जवाब तलब किया गया तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बेडासोटा की जमाबन्दी सम्वत् 2011 की आराजी नम्बर 9 रकबा 1 बिघा 7 बिस्वा भूमि मेवाड सेटलमेन्ट से

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner

खातेदार श्री अमरा वल्द जगा मीणा के नाम रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आराजी में से रकबा 6 बिस्वा भूमि नामान्तरकरण संख्या 29 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज की गई जिससे उक्त आराजी नम्बर 9 के दो टुकडे हो गये आरजी नम्बर 9/1 रकबा 1 विघा 1 बिस्वा भ्झूमि उक्त खातेदार के नाम एवं आराजी नम्बर 9/2 रकबा 6 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग उदयपुर के नाम रेकॉर्ड दर्ज किया गया । आराजी नम्बर 9/1 रकबा 1 विघा 1 बिस्वा भूमि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 की आराजी नम्बर 9/1 रकबा 0.2268 हैक्टेयर भ्झूमि है जो खातेदार श्री कालु,शंकर पिता अमारा, कालुलाल, मोतीलाल,लालुराम पिता हुडा, जमनी,राधा पुत्री हुडा,लोगर पिता गोतम मीणा के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है जो प्रतिवादी के पुर्वजों जो की मेवाड सेटलमेंन्ट से प्रतिवादीगणों के नाम से चली आ रही है। वादी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है। ना ही वादी ने न्यायालय में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये है ।

हमनें तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी का उक्त आरजी पर कब्जा नही रहा मेवाड सेटलमेन्ट से ही उक्त भूमि पर प्रतिवादीगणों के नाम पर दर्ज रही है। तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट व वादी के साक्ष्य सबूत के अभाव में वादी का वाद वाद अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित नही पाये जाने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(पर्वत सिह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलुम्बर

Scanned with CamScanner